

1/09/22

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता  
उपग। अपीलॉट द्वारा शपथ पत्र पूर्व  
में शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील से  
आगे नहीं चलाने का निवेदन दिया  
गया है। अधिवक्ता अपीलॉट द्वारा  
भी इस से सहमति व्यक्त की गई  
है। अतः प्रकरण खारिज दिया गया  
जाता है। पत्रावली फैलल शुभाहोष  
नम्बर से उम हो।

मजलस अमीर पत्रिकासी  
पाली